न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम्, गोपालगंज

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1348 / 2026

लालजी साह बनाम सरकार

15.06.2026 आवेदक **लालजी साह** की ओर से यह वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिन्हें **कुचायकोट थाना कांड सं0–228 / 2026, अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 118(2), 109(1), 351(2), 352, 3(5) बी.एन.एस.** में गिरफ्तारी की आशंका है, उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश कुमार चौबे तथा सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार प्रसाद एवं सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

अभियोजन मामले का संक्षेप में कथन है कि सूचक श्रीराम साह, दिनांक 05.05.2026 को समय करीब 08:00 बजे सुबह आंधी में मड़ई का घर उड़ गया था तभी सूचक मड़ई पर तिरपाल बांध रहा था उसी समय उसके पट्टीदार लालजी साह, फरसा लेकर आये और बोलने लगे कि तिरपाल क्यों बांध रहे हो, मत बांधो और गाली–गलौज करने लगे मना करने पर लालजी ने सूचक पर जान मारने की नियत से फरसा से हमला कर दिया। जिससे वह बेहोश होकर जमीन में गिर गया। उसके बाद लालजी साह ने अपने पुत्र कुन्दन साह को फोन करके बुला लिया तथा दोनों ने मिलकर सूचक को बुरी तरह से पीटकर जख्मी कर दिया। जख्मी का ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुचायकोट में कराने ले गये जहां से स्थिति खराब होने के कारण डॉ0 द्वारा बेहतर ईलाज हेतु गोरखपुर रेफर कर दिया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में कोई भी नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में दाखिल किया गया है और न ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झुठे केस में फंसाया गया है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरुद्ध 109(1), 118(2) बी.एन.एस का मामला नहीं बनता है। उभय पक्ष आपस में पट्टीदार हैं एवं उभय पक्षों में जमीनी विवाद है। घटना दिनांक 05.05.2026 की है तथा प्राथमिकी दिनांक 07.05.2026 को दर्ज है। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं तथा उसके विरूद्ध गैर जमानतीय धाराओं में केस दर्ज किया गया है जिससे गिरफ्तारी की आशंका है इसीलिए आवेदक यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किए हैं। आवेदक उचित बंधपत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त केस की प्राथमिकी आवेदक सहित कुल 2 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा– 115(2), 126(2), 118(2), 109(1), 351(2), 352, 3(5) बी.एन.एस. दर्ज कराया गया है। आवेदक पर आरोप है कि इन्होंने सूचक के सार पर

लगातार
15.06.2026

जान मारने की नियत से फरसा से प्रहार किया जिससे सूचक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया काण्ड दैनिकी के कंडिका 4, 5, 6 एवं 7 में वादी एवं साक्षियों ने उपरोक्त कथन का समर्थन किया है। जख्मी सूचक श्रीराम साह के जख्म प्रतिवेदन तथा सिटी स्कैन रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि जख्मी के सर पर लेसरेटेड उण्ड है। जख्मी के शरीर के मर्म भाग पर आवेदक द्वारा प्रहार करने का विशिष्ट आरोप एवं सक्ष्य है। मामले में अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक **लालजी साह** के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन एतद्द्वारा **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–राजेश कुमार वर्मा
अपर सत्र न्यायाधीश, दशम्
गोपालगंज

ज्ञापांक–..... दिनांक–.....
प्रतिलिपिः– न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सत्र न्यायाधीश–दशम्,
गोपालगंज